

कार्याह्य अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

तहसील - नवीन तहसील सेंट्रल कोतवाली जिला - इन्दौर, मध्यप्रदेश

(अन्य पिछडे वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र)

प्रकरण क्रमांक 9617/बी - 121/जाति प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र क्रमांक : RS/439/0106/104631/2015

दिनांक: 29/09/2015

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री आयुष पुत्र श्री भानुप्रताप (पिता) एवं श्रीमती पिंकी मौर्य (माता) नगर इंदौर (ननि) पार्ट, तहसील नवीन तहसील सेंट्रल कोतवाली, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश मुराई जाति के हैं, यह जाति राज्य के लिए अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति में अधिसूचित सूची में अनुक्रमांक 33 निम्नलिखित के तहत विनिर्दिष्ट की गई है:-

- 1. मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984.
- 2. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चौवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997.
- 3. इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं दवारा अधिमान्य किया गया है।
- 2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री आयुष क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रमांक एफ 7-26-93-1-आ.प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट (ई) की अनुसूची के कालम (3) में किया गया हैं।
- 3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक <mark>आयुष</mark> के परिवार की कुल वार्षिक आय उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र/सक्षम प्राधिकारी / नियोक्ता दवारा जारी आय प्रमाण पत्र के आधार पर रूपये 48000.00 हैं।
- 4. श्री आयुष पुत्र श्री भानुप्रताप सामान्यतः (Ordinarily) नगर इंदौर (निन) पार्ट, तहसील नवीन तहसील सेंट्रल कोतवाली, जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) के निवासी हैं।

स्थान : नवीन तहसील सेंट्ल कोसवाली

दिनांक: 29/09/2015

आधार नवर

ममग तं •

हसील - नवीन तहसील सेंट्रल कोतवाली

Exal.

श्री संतोष टैगोर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

- ्रिमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र म.प्र. शासन की Digitally Signed document repository www.mpedistrict.gov.in से डाउनलोड किया गया है। प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर है।
- 2. यह प्रमाण पत्र, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्य है।
- 3. प्रमाण पत्र का सत्यापन पंजीयन के RS/439/0106/104631/2015 के द्वारा बेबसाईट http://mpedistrict.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है।